

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 138/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

सेंती देवी पत्नि श्योलाल जाति बावरी निवासी 21-22 डी.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर
जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. जयपाल पुत्र श्योलाल जाति बावरी निवासी 21-22 डी.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर।
2. महेन्द्र पुत्र श्योलाल जाति बावरी निवासी 21-22 डी.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर।
3. मंजू पुत्री श्योलाल पत्नि रोहिताश जाति बावरी निवासी वार्ड नम्बर 19 रावतसर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ़(राज0)

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री सुरेन्द्रकुमार हुड्डा वकील-वादी

श्री सुभाष बिश्नोई वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक- 26/3/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 6 आर.डब्ल्यू.एम. के खाता संख्या 67/64 के पत्थर नम्बर 172/3(27) किला नम्बर 11, 20, 21/2 की 0.7340 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह प्रर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/3/2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

